5 सीमावर्ती जिलों के 184 गांवों में 3-3 करोड़ रु. के विकास कार्य होंगे

सीएम भजनलाल शर्मा कर रहे वाईब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम-II की निरंतर मॉनिटरिंग

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । वाईब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम-II के तहत राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों के 184 रणनीतिक गांवों में सड़क संपर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, टेलीविजन, दूरसंचार कनेक्टिविटी, आजीविका सृजन, पर्यटन, संस्कृति, जागरूकता गतिविधियों को प्रोत्साहन, युवा सशक्तीकरण एवं कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, सहकारिता, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पाद संगठनों का विकास एवं परिसंपत्तियों के रखरखाव सहित ग्राम अवसंरचना से जुड़े व्यापक विकास कार्य किए जाएंगे। इन प्रयासों से सीमावर्ती क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर तो होगा ही, साथ ही रोजगार, पर्यटन, स्थानीय आजीविका और सामाजिक सशक्तीकरण के नए अवसर भी विकसित होंगे।

प्रदेश के श्रीगंगानगर के 68, बीकानेर के 46, बाड़मेर के 36, जैसलमेर के 30 और फलौदी जिले के 4 गांवों को कार्यक्रम के तहत रणनीतिक गांवों के रूप में चयनित किया गया है। वर्तमान में वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II के अंतर्गत चयनित कुल 184 में से 123 गांवों में 232 करोड़ से अधिक की लागत के 515 कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच और "सीमावर्ती गांव देश के अंतिम नहीं, बल्कि प्रथम गांव हैं" की भावना को साकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की नई तस्वीर गढ़ने जा रही है।

- **मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम से सीमावर्ती गांवों के विकास को मिली रफ्तार**

कार्यक्रम के अनुसार राज्य के रणनीतिक गांवों में विकास एवं योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान के सीमा ब्लॉकों के 3 हजार 195 गांवों में सभी मौसम में 4 थीमेटिक क्षेत्रों की संतृप्ति के तहत सड़क संपर्क, दूरसंचार कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी के साथ-साथ ऑन ग्रिड विद्युतीकरण किया जाएगा। वहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट रहने वाले समुदायों के साथ जुड़ाव बढ़ाने, विश्वास स्थापित करने एवं सकारात्मक संबंध विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामुदायिक बैठकों, पर्यटन गतिविधियों, प्रशिक्षण सत्रों तथा जागरूकता अभियानों के आयोजन के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से संवेदनशील एवं भावनात्मक जुड़ाव और अधिक मजबूत किया जा रहा है।

कार्यक्रम के तहत अब तक 10 क्षेत्रों में संतृप्ति के लिए चयनित राजस्थान के समस्त 184 रणनीतिक गांवों का सत्यापन एवं प्रोफाइल अपडेशन किया जा चुका है। वहीं, 4 थीमेटिक क्षेत्रों में संतृप्ति हेतु सीमा ब्लॉक के कुल 3 हजार 195 गांवों में से 3 हजार अधिक गांवों का सत्यापन एवं 2 हजार 558 गांवों का प्रोफाइल अपडेशन किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार बजट घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत 5 सीमावर्ती जिलों के 1 हजार 206 गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2025-26 में योजना के तहत बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, खेल, पर्यटन, आधारभूत संरचना विकास से जुड़े 137 करोड़ रुपये की लागत के 1 हजार से अधिक कार्यों को स्वीकृति दी गई है।

इस मानसून में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा राज्य सरकार ने

"हरियालो" एप से होगी पौधों की जियो-टैगिंग और पूर्व में लगाये गये पौधों की पुष्टि

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक लेकर मिशन हरियालो राजस्थान की तैयारियों पर चर्चा की।

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में बुधवार को मिशन हरियालो राजस्थान की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मानसून 2026 के दौरान प्रदेशभर में किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों एवं पूर्व वर्षों में लगाए गए पौधों के सत्यापन कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग लगाए गए पौधों की जीवित्तता को भी सुनिश्चित करें। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में भी पौधारोपण को प्राथमिकता से करने के लिए कहा।

उन्होंने बताया कि मानसून 2024 में 7.22 करोड़ तथा मानसून 2025 में 11.75 करोड़ से अधिक पौधारोपण कर राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आगामी मानसून 2026 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पौधारोपण के साथ पौधों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए हरियालो ऐप के माध्यम से पौधों की जियो-टैगिंग एवं लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही मुख्य सचिव ने हरियालो राजस्थान वेबपोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए।

जैन समाज ने भाजपा से मांगी राज्यसभा प्रत्याशी की सीट

सुनील कोठारी को अवसर दिए जाने का आग्रह किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान से राज्यसभा के लिए संभावित प्रत्याशी को लेकर बुधवार शाम को जैन समाज के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की। यह मुलाकात सकल जैन समाज जयपुर के तत्वावधान में समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा की गई। इसमें श्री महावीरजी अतिशय क्षेत्र, राजस्थान जैन सभा, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, श्री जैन श्वेताम्बर संघ, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, अनुविभा जयपुर केंद्र, श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संघ और जैन विश्व भारती आदि संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद थे ।

प्रतिनिधिमंडल ने मदन राठौड़ के समक्ष जैन समाज की भावनाओं को रखते हुए आग्रह किया कि वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा में जैन समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, अत: समाज को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए जैन समाज से किसी योग्य प्रतिनिधि को राज्यसभा भेजा जाए। बैठक में प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी और भूपेंद्र सैनी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। जैन समाज की ओर से वरिष्ठ नेता सुनील कोठारी को अवसर दिए जाने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सुनील कोठारी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के समर्पित, सक्रिय एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने संगठन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी कार्य किया है। पार्टी संगठन, वैचारिक प्रतिबद्धता तथा जनसंपर्क के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। वर्ष 2019 एवं 2024 के लोकसभा चुनावों में जयपुर संसदीय क्षेत्र से उनका नाम भाजपा प्रत्याशी के रूप में गंभीरता से विचाराधीन रहा। अंतिम समय में संगठनात्मक परिस्थितियोंवश अन्य प्रत्याशियों को अवसर दिया गया, तथापि कार्यकर्ताओं एवं समाज के मध्य उनकी स्वीकार्यता निरंतर बनी हुई है।प्रतिनिधिमंडल में जैन समाज से सुधांशु कासलीवाल, विवेक काला, राजकुमार बराडिया, सुभाष जैन, हितेश भाण्डिया, अमित हिरावत, ज्योति कोठारी, विनोद कोटखावदा, अमिताभ हीरावत, नितिन दुगड़, प्रवीण मेहता, राजेंद्र बांठिया, सरदारसिंह बोथरा, सुभाष जैन, सुनील बख्शी, सुनील जैन, सुनील मुनोत, सुरेश कोठारी, गौरव मांडोत, कमल सचेती और रजत डागा उपस्थित रहे।

जैन समाज के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की।

एक जून से राजस्थान में चलेगा "उमंग" अभियान

जयपुर । राजस्थान में बालश्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ राजस्थान पुलिस 1 जून से 30 जून तक राज्यव्यापी विशेष अभियान उमंग- चलाएगी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य बाल शोषण रोकना और पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सिविल राइट्स एवं एएचटी) हवासिंह घुमरिया ने प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों को अभियान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।इस अभियान के तहत होटल, ढाबे, फैक्ट्रियां, ईंट भट्टे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल और हाईवे किनारे स्थित क्षेत्रों में बच्चों की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। पुलिस थानेवार रेस्क्यू टीमें गठित की जाएंगी, जिनमें पुलिसकर्मियों के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, बाल अधिकारिता विभाग और एनजीओ प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। रेस्क्यू किए गए बच्चों का मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा और उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश किया जाएगा। अन्य राज्यों से लाए गए बच्चों के मामलों में संबंधित राज्यों की पुलिस को भी सूचना दी जाएगी।

'विधि शिक्षा का उपयोग जरूरतमंदों, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें'

डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि विधि शिक्षा प्रत्यक्षत: समाज से जुड़ी शिक्षा है। इसका उपयोग विद्यार्थी जरूरतमंदों, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें। उन्होंने विधि शिक्षा में राष्ट्र और समाज हितों को सदा अग्रणी रखने और इस शिक्षा में उच्च संवैधानिक मूल्यों के साथ राजस्थान को अग्रणी किए जाने का आव्हान किया। बागडे बुधवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में सम्बोधित कर रहे थे।

- **समारोह में राज्यपाल बागड़े, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उप मुख्यमंत्री बैरवा ने पदक एवं डिग्रियां प्रदान की**

राज्यपाल ने डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि बॉम्बे विधानसभा में वर्ष 1938 में उन्होंने कहा था कि "मैं चाहता हूं कि समस्त लोग पहले भारतीय हों, और अंतत: भारतीय हों तथा भारतीय के सिवाय और कुछ भी नहीं हों। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा का भी मूल यही होना चाहिए कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद किसी वर्ग, जाति या समुदाय से आते हैं। देश सवोच्च है।"

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि डॉ. अंबेडकर विधि विशेषज्ञ ही नहीं थे वह बहुत बड़े अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, लेखक और विविध विषयों के जानकार थे। वह 1927 में बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बन गए थे। उन्होंने कहा कि देश के पहले कानून मंत्री डॉ. अंबेडकर थे।

समारोह में राज्यपाल बागडे, केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विद्यार्थियों को डिग्री और पदक प्रदान किए।

राज्यपाल श्री बागडे ने दीक्षा प्राप्त 25 हजार से अधिक विद्यार्थियों की डिग्रियां डिजी लॉकर में कंप्यूटर का बटन दबाकर लाइव की। इससे पहले कुलगुरु डॉ. निष्ठा जसवाल ने स्वागत उद्बोधन में विश्वविद्यालय की उपलब्धियां के बारे में विस्तार से बताया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बुधवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया।

पुलिस कमिश्नर 30 मई को करेंगे जनसुनवाई

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल 30 मई को दोपहर 11.30 से 01.30 बजे तक पुलिस थाना चित्रकूट पर जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान वैशाली नगर सर्किल के वैशाली नगर, करणी विहार एवं चित्रकूट थानों के परिवादियों की जनसुनवाई की जावेगी। जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुँचाना है।

हॉस्पिटल में घुसकर डॉक्टर से मारपीट करने वाली मां-बेटियां गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में संचालक डॉक्टर से मारपीट और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने मां और दो बेटियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी युवती पहले अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत थी और पूर्व में डॉक्टर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने के बाद समझौते के जरिए रकम वसूल चुकी थी। बाद में दोबारा पैसों की मांग करने पर विवाद हुआ और मारपीट की वारदात हुई।पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा ने बताया कि मानबाग स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल के संचालक जितेन्द्र कुमार मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 अप्रैल 2026 को तीन महिलाएं जबरन उनके निजी केबिन में घुस आईं और पैसों की मांग करने लगीं। विरोध करने पर महिलाओं ने गाली-गलौज करते हुए डॉक्टर के साथ लात-घूंसों और चप्पलों से मारपीट की। घटना में डॉक्टर घायल हो गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीरज पाठक एवं एसीपी आमेर सुरेंद्र सिंह राणावत के निर्देशन में जयसिंहपुरा खोर थानाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संजना महावर, उसकी बहन ज्योति महावर और मां रेखा देवी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों गलता गेट क्षेत्र की निवासी हैं।पुलिस जांच में सामने आया कि संजना महावर पहले इसी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ थी। वर्ष 2023 में उसने डॉक्टर के खिलाफ सिंधीकैंप थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। बाद में समझौता कर कोर्ट में बयान बदल दिए गए थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने समझौते के दौरान डॉक्टर से रकम ली थी। इसके बाद 28 अप्रैल को दोबारा पैसे मांगने अस्पताल पहुंचीं। डॉक्टर द्वारा मना करने पर उन्होंने मारपीट कर दी।

पीएचईडी का वरिष्ठ रसायनज्ञ सेवा से हटाया जाएगा

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध 4 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी है। भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन अधिनियम, 2018) के तहत दोष सिद्धि के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को सेवा से पदच्युत करने का भी अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ रसायनज्ञ को पेयजल के नमूनों की गुणवत्ता जांच में फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के अपराध में सेवा से हटाने का निर्णय लिया है। साथ ही, एक अन्य प्रकरण में दोषी अधिकारी को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है।

उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध संचालित 14 जांच प्रकरणों में पेंशन रोकने तथा 2 सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध 16 सी.सी.ए. की जांच कार्यवाही में वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार सी.सी.ए. नियम 23 एवं 34 के तहत प्रस्तुत अपील एवं रिव्यू याचिका के 7 प्रकरणों को खारिज करते हुए पूर्व में दिए गए दण्ड को यथावत रखा है।

एसएमएस अस्पताल में महिला से अभद्रता

जयपुर। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। अस्पताल के गेट नंबर-3 के पास देर रात एक महिला से अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक नशेड़ी युवक ने उससे जबरन शादी करने का दबाव बनाया और मना करने पर गोली मारने की धमकी दी। घटना स्थल से एसएमएस थाना की दूरी करीब 100 मीटर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार महुआ क्षेत्र निवासी महिला पिछले चार दिनों से अपने बीमार परिजन के उपचार के लिए अस्पताल में रुकी हुई थी। बुधवार देर रात करीब दो बजे वह अस्पताल परिसर में अकेली थी, तभी एक युवक उसके पास पहुंचा और अभद्रता करते हुए शादी करने का दबाव बनाने लगा। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर गोली मारने की धमकी दी। घटना से सहमी महिला ने पूरी रात अस्पताल परिसर के दूसरे हिस्से में छिपकर बिताई।पीड़िता ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से अस्पताल परिसर में कुछ असामाजिक तत्व उसे परेशान कर रहे थे। उसने इस संबंध में सुरक्षा गार्डों को भी जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। महिला ने बताया कि घटना के दौरान उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई सुरक्षाकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा।

- **शादी का दबाव बनाकर गोली मारने की धमकी दी**

घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। मरीजों के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि रात के समय कई सुरक्षा गार्ड ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन पर रील देखने और सोशल मीडिया चलाने में व्यस्त रहते हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर में देर रात नशेड़ियों और संदिग्ध लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है तथा चोरी और अभद्रता की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन की ओर से जांच की जा रही

गबन-भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में हो कड़ी कार्रवाई : मंत्री गौत्तम दक

जयपुर । सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने विभाग में अनियमितताओं, गबन व भ्रष्टाचार के दर्ज प्रकरणों में कठोर कार्रवाई करने के लिए गृह विभाग, पुलिस व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिए है। दक बुधवार को शासन सचिवालय में सहकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों एवं सहकारी संस्थाओं में गबन, अनियमितताओं एवं अन्य प्रकरणों में दर्ज एफआईआर के संबंध में कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे।

दक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गबन, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में तुरंत अनुसंधान पूरा कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। गबन के प्रकरणों में दोषियों के विरूद्ध आपराधिक धाराओं में कार्रवाई के साथ ही वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

फर्जीवाड़े और घोटालों के प्रकरणों में मुख्य आरोपियों के साथ ही पूरे नेटवर्क का खुलासा कर सभी के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। दोषियों द्वारा जिन परिजनों के नाम पर सम्पत्ति बनाई गई है, उनके विरूद्ध भी कार्रवाई कर वसूली की जाए।सहकारिता मंत्री ने कहा कि गंभीर प्रकृति के प्रकरणों में जिस मंशा के साथ आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, उसी के अनुरूप कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे प्रकरणों में बिना पर्याप्त आधार के एफआर लग जाने से गलत संदेश जाता है। अपराध प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय में समय पर चालान प्रस्तुत किये जाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर अलग सेल का गठन कर ऐसे प्रकरणों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। दक ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सहित अन्य कार्यों में फर्जीवाड़े एवं अनियमितताओं के कुछ बड़े प्रकरण सामने आए हैं, जिनसे विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे प्रकरणों पर विशेष रूप से फोकस किया जाए। उन्होंने फर्जीवाड़े में शामिल ई-मित्र संचालकों एवं बैंक खाते किराये पर देने वाले लोगों के विरूद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए।रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने कहा कि गबन एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में विभाग द्वारा सहकारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। केवल गंभीर प्रकृति के मामलों में ही एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। चूंकि प्रकरण की पूर्व में जांच हो चुकी होती है तथा आरोपी भी ज्ञात होते हैं, अत: अधिकांश प्रकरण ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस के स्तर पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में सख्त कार्रवाई होने से निचले स्तर तक स्पष्ट संदेश जाएगा और अनियमितताओं पर रोक लगेगी। पुलिस एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि आगामी दिनों में कार्यवाही में गति लाते हुए लम्बित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण किया जाएगा। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, गृह विभाग दीपक कुमार, डीआईजी, सीआईडी (सी.बी.) दीपक भार्गव, राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी, पुलिस अधीक्षक (एसीबी) गोरधन लाल, संयुक्त शासन सचिव, सहकारिता प्रह्लाद सहाय नागा, एडिशनल डीसीपी जयपुर नीतिराज सिंह मौजूद थे।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बुधवार को विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों एवं सहकारी संस्थाओं में गबन-अनियमितताओं के प्रकरणों में दर्ज एफआईआर के संबंध में कार्यवाही की समीक्षा की।

- **सहकारिता मंत्री के गृह विभाग, पुलिस व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों को निर्देश दिए**

मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती में केवल डिप्लोमा वाले ही पात्र

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती-2021 में नियुक्तियों का रास्ता साफ करते हुए एकलपीठ को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश मनोज शर्मा व अन्य की ओर से दायर अपीलों का निस्तारण करते हुए दिए। एकलपीठ ने 22 फरवरी, 2023 को याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड के 15 दिसंबर, 2021 के कार्यालय आदेश को रद्द कर भर्ती विज्ञापन के अनुसार इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों को हटाते हुए परिणाम जारी करने को कहा था। खंडपीठ ने लंबित भर्ती प्रक्रिया को तत्काल पूरी करने के आदेश देते हुए कहा है कि एकलपीठ के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। ऐसे में उसमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि यह स्थापित नियम है कि एक बार खेल शुरू होने के बाद उसने नियमों को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में राज्य सरकार ने बाद में नियम संशोधित कर दिया तो भी वह संशोधन की तारीख से ही प्रभावी होगा और उसे पहले से जारी भर्ती विज्ञापन पर लागू नहीं किया जा सकता।